

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना

आदेश

ज्ञापक-एसीस-01/नि0-117/2010(अंश)-

पटना, दिनांक-

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566, दिनांक-14.07.2010 के उपबंधों के अधीन दिनांक-02.03.2020 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आधार कर्मचारी राज्य बीमा योजना अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से उल्लिखित वेतनमान/पे बैंड+ग्रेड पे/स्तर में एम0ए0सी0पी0 स्कीम के अधीन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

| क्र० सं० | नाम एवं पदनाम वर्तमान वेतनमान | देय एम0ए0सी0पी0/ लाम की तिथि एवं वेतनमान सहित | समिति की अनुशंसा |
|----------|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री धनंजय कुमार सिंह, लिपिक वेतन स्तर-7 | तृतीय एम.एम.सी.पी. 13.11.12 पे बैंड 9300-34800/- ग्रेड पे-4800/- | योग्य |
| 2 | श्री अनंत कुमार, लिपिक वेतन स्तर-2 | प्रथम एम.एम.सी.पी. 18.07.15 पे-बैंड 5200-20200/- ग्रेड पे-2000/- | योग्य |
| 3 | श्री रवीन्द्र कुमार प्रसाद, लिपिक वेतन स्तर-2 | प्रथम एम.एम.सी.पी. 20.06.18 वेतन स्तर-3 | योग्य |
| 4 | श्रीमती गीता कुमारी, लिपिक वेतन स्तर-6 | तृतीय एम.एम.सी.पी. 05.12.19 वेतन स्तर-7 | योग्य |
| 5 | श्री राधेश्याम सिंह, लिपिक वेतन स्तर-5 | द्वितीय एम.एम.सी.पी. 13.08.19 वेतन स्तर-6 | योग्य |
| 6 | श्रीमती प्रीता लाल, लिपिक वेतन स्तर-2 | प्रथम एम.एम.सी.पी. 05.12.19 वेतन स्तर-3 | योग्य |
| 7 | श्री शंकर राम, बहारु वेतन स्तर-3 | तृतीय एम.एम.सी.पी. 05.12.19 वेतन स्तर-4 | योग्य |
| 8 | श्रीमति कमला देवी, कार्यालय परिचारी वेतन स्तर-3 | तृतीय एम.एम.सी.पी. 01.12.19 वेतन स्तर-4 | योग्य |
| 9 | श्री जीतन पासवान, कार्यालय परिचारी वेतन स्तर-1 | प्रथम एम.एम.सी.पी. 27.08.19 वेतन स्तर-2 | योग्य |

- वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित कर्मियों का वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003 के नियम-8 एवं सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना संशोधन नियमावली 2006 वित्त विभागीय संकल्प संख्या-7566, दिनांक-14.07.10 के आलोक में नियमानुसार किया जायेगा।
- जिन कर्मचारियों का वेतन का निर्धारण दिनांक-01.04.17 को जिला लेखा कार्यालय से नहीं हुआ है, उनका वेतन का निर्धारण कराने के पश्चात भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
- वित्तीय उन्नयन के आदेश में भविष्य में त्रुटि पाये जाने पर संशोधन का अधिकार निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार, पटना में सन्निहित होगा। इस आधार पर अधिक भुगतान की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा एकमुस्त बसूली कर ली जायेगी।

ह0/-

(डा0 राम बिनय प्रसाद)

निदेशक चिकित्सा सेवायें,

क०पू०उ०

ज्ञापांक-एसीस-01/नि0-117/2010(अंश)-

प्रतिलिपि-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

निदेशक चिकित्सा सेवायें,

ज्ञापांक-एसीस-01/नि0-117/2010(अंश)-

प्रतिलिपि-संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

निदेशक चिकित्सा सेवायें,

ज्ञापांक-एसीस-01/नि0-117/2010(अंश)-

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना शाखा/लेखाशाखा, निदेशालय, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित कर्मियों को अपने स्तर से सूचित करें एवं सेवापुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि करें। किसी जिम्मेवार कर्मचारी को भेजकर सभी संबंधित कर्मों का सेवापुस्तिका निदेशालय से यथाशीघ्र प्राप्त करें।

पटना, दिनांक-

ह0/-

निदेशक चिकित्सा सेवायें,

ज्ञापांक-एसीस-01/नि0-117/2010(अंश)-

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक-


ह0/-

निदेशक चिकित्सा सेवायें,

ज्ञापांक-एसीस-01/नि0-117/2010(अंश)- 203

✓ प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-03.03.2020


3.3.2020

निदेशक चिकित्सा सेवायें,

